प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 28.12.2017 को आयोजित अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही :-

दिनांक 28.12.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के प्रतिनिधि/पटना नगर निगम के चारों अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फुलवारी शरीफ एवं दानापुर तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

2. **बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित मुद्दे :-**

2.1 ट्रांसपोर्ट नगर, पटना के सम्प हाऊस के निर्माण हेतु विभाग द्वारा लगभग 05 माह पूर्व ही स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, लेकिन अभी तक बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि निविदा प्रकाशित हो गयी है, जिसे खोलने की तिथि 30.12.2017 है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करा दिया जाएगा। यह भी बताया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर सम्प हाऊस की कनेक्टिविटी पहाड़ी नाला में होगा।

2.2 कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि जीरो प्वाइंट, अशोक नगर सम्प हाउस में नाला जोड़ने का कार्य 17 मीटर में से 12 मीटर तक हो गया है, शेष कार्य 15 मार्च, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। निर्देश दिया गया कि 15 मार्च, 2018 तक नाला जोड़ने का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय तथा इस संबंध में लिखित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय। 15 मार्च, 2018 को माननीय मंत्री से जीरो प्वाइंट सम्प हाउस का उद्घाटन कराया जाएगा।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया जाता है कि यदि उक्त योजना का कार्य 15 मार्च, 2018 तक पूर्ण नहीं होता है तो संबंधित कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

2.3 सैदपुर नाला का कार्य दो alignment से कराया जाना है। एक alignment, जो प्रेमचंद रंगशाला से घूमकर जाना है, उसपर अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि निविदा प्रकाशित हो गयी है, जिसे खोलने की तिथि 12.01.2018 निर्धारित है। निर्देश दिया गया कि अविलंब कार्य प्रारंभ किया जाय।

3. **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित मुद्दे :-**

3.1 नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विभिन्न नगर निकायों के लिए 106 जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है। इस संबंध में पूर्व में मुख्य सचिव, बिहार के स्तर पर हुए निर्णय के आलोक में प्राक्कलन के अनुसार सभी योजनाएं पूर्ण करके, संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करके, चालू स्थिति में नगर निकाय को हस्तांतरित किया जाना है, लेकिन कई नगर निकायों से इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उन्हें अभी तक जलापूर्ति योजना का हस्तांतरण नहीं हो पाया है और कई में अकार्यरत स्थिति में ही हस्तांतरण कर दिया गया है। स्पष्ट किया गया कि योजना का हस्तांतरण केवल कार्यरत स्थिति में होगा। अपूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण नहीं होगा। नगर निकाय एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर ही हस्तांतरण होगा।

चूँकि उक्त सभी 106 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध करायी गयी है, लेकिन इन योजनाओं की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन भी नगर विकास एवं आवास विभाग को नहीं भेजा जाता है, जिसके कारण पेयजल निश्चय योजना का प्रतिवेदन विभाग द्वारा बिहार विकास मिशन को भेजने में भी कठिनाई हो रही है।

बैठक में उपस्थित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि उक्त सभी 106 योजनाओं का प्रतिवेदन तीन भागों में विभाजित कर उपलब्ध कराएं। प्रथम भाग में वैसी योजनाएं, जिनका design period समाप्त हो गया है एवं दूसरे भाग में वैसी योजनाएं, जिनमें योजनाएं आंशिक रूप से चालू हैं तथा अंश भाग अकार्यरत है। तीसरे भाग में ongoing schemes का प्रतिवेदन दिया जाय। यह प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में ही साप्ताहिक रूप से प्रत्येक बुधवार तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

प्रशाखा पदाधिकारी–2 को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अधोहस्ताक्षरी की ओर से अर्द्ध सरकारी पत्र भेजा जाय, जिसकी प्रति विकास आयुक्त एवं मुख्य सचिव को भी दी जाय। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जब तक उक्त सभी योजनाओं का नियमित रूप से प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त नहीं होता है तब तक इस योजनांतर्गत कोई अवशेष राशि देय नहीं होगी। **(प्रशाखा पदा०–2)**

3.2 कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 47.00 लाख रूपये की राशि जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2011 में ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण को उपलब्ध करायी गयी है, जिसका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है एवं व्यय प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण नगर परिषद द्वारा उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिया गया कि उक्त कार्य का व्यय प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से नगर परिषद, दानापुर को उपलब्ध करायी जाय।

4. <u>पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे</u> :–

4.1 कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा रोड/पुल के निर्माण के क्रम में यह सुनिश्चित करेंगे कि शहर के किसी भी नाला को संकीर्ण नहीं किया जाएगा तथा सड़क के निर्माण के पूर्व संबंधित नगर निकाय से अनापत्ति अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया है।

4.2 शनिचरा पथ से शिवम पथ के बीच रोड की मरम्मति किया जाना आवश्यक है। शनिचरा पुल के निर्माण के क्रम में कई स्थानों पर नाला टूट गया था, जिसकी शीघ्र मरम्मति आवश्यक है। कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाय।

5. <u>बुडको से संबंधित मुद्दे</u> :–

5.1 महाप्रबंधक, बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पटना जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु जमीन उपलब्ध कराने हेतु पटना नगर निगम से अनुरोध किया गया था, लेकिन इस संबंध में पटना नगर निगम से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि पीरमुहानी में जलापूर्ति एवं ड्रेनेज दोनों के लिए इन्हें जगह की उपलब्धता के संबंध में सूचित किया गया था, लेकिन इनके द्वारा उक्त स्थल इस हेतु उपयुक्त नहीं बताया गया, जबकि उक्त स्थल दोनों योजना के लिए पर्याप्त है।

महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल के साथ आज ही स्थल अध्ययन किया जाय।

5.2 मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि बुडको द्वारा पटना शहरी क्षेत्र में अधिष्ठापित किये गये जिन स्ट्रीट लाईटों का अभी तक पटना नगर निगम को handover नहीं किया गया है और O&M Period समाप्त हो गया है, उसका निरीक्षण करके, चालू हालत में पटना नगर निगम को शीघ्र handover कर दिया जाय।

6. **बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से संबंधित मुद्दे :–**

6.1 पिछली बैठक में प्रतिवेदित हुआ था कि पटना शहर में विभिन्न फ्लाईओवरों के नीचे कई स्थानों पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा godown आदि का निर्माण किया गया है, जिससे शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है।

अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से अनुरोध है कि फ्लाईओवरों के नीचे निर्मित godown को हटाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करेंगे। फ्लाईओवरों के नीचे की जमीन का उपयोग वाहनों के पार्किंग हेतु किया जाय।

7. **पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे :–**

7.1 अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर में पटना नगर निगम के खाली जमीन एवं उस क्षेत्र के सभी पथों के अद्यतन स्थिति का सर्वे कराया जाय तथा नगर निगम के खाली जमीन का आवंटन किया जाय ताकि निगम को राजस्व की प्राप्ति हो सके।

7.2 मीठापुर बस स्टैण्ड में बरसात के दिनों में स्टैण्ड परिसर में जलजमाव एवं काफी कीचड़ जमा रहता है, जिसके कारण यात्रियों को काफी असुविधा होती है। उल्लेखनीय है कि मीठापुर बस स्टैण्ड से पटना नगर निगम को काफी राजस्व की प्राप्ति होती है। अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि स्टैण्ड परिसर में लेवलिंग का कार्य कराया जाय एवं पेयजल/यूरिनल की समुचित व्यवस्था की जाय।

7.3 पीरमुहानी क्षेत्र में पिछले मॉनसून के समय काफी जलजमाव एवं ड्रेनेज की समस्या प्रतिवेदित हुई थी। कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि स्थल अध्ययन करके समस्या का निराकरण शीघ्र सुनिश्चित कराया जाय।

7.4 कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सिटी मोट नाला की गहराई 1.5 फीट से 2 फीट तक ही है, जिसके कारण कई स्थानों पर नाला ओवरफ्लो होता है। अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि सम्पूर्ण सिटी मोट नाला क्षेत्र का सर्वे कराया जाय एवं समस्या का निराकरण कराया जाय।

7.5 अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि टी०पी०एस० कॉलेज के पीछे तारकेश्वर पथ में बरसात के दिनों में रोड पर हमेशा पानी जमा रहता है। कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि तारकेश्वर पथ में नाला निर्माण का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, जिसे जयपुरियार गली नाला से कनेक्ट किया जाएगा। निर्देश दिया गया कि उक्त नाला का प्राक्कलन शीघ्र तैयार करके पटना नगर निगम द्वारा अपने संसाधन/निश्चय योजना की निधि से नाला का निर्माण कराया जाएगा।

7.6 अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि होल्डिंग टैक्स की गणना एवं विद्युत विपत्र के राशि के भुगतान का ऑडिट किसी ऑडिट फर्म द्वारा कराया जाना है। उक्त ऑडिट फर्म के भुगतान के संबंध में निर्देश दिया गया कि SBPDCL एवं पटना नगर निगम दोनों ऑडिट फर्म को भुगतान की जाने वाली राशि का 50–50 प्रतिशत राशि का भुगतान

करेंगे। इसी प्रकार NBPDCL एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से 50 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।

प्रशाखा पदाधिकारी–2 को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में उक्त दोनों नगर निगमों तथा SBPDCL एवं NBPDCL को पत्र भेजा जाय। **(प्रशाखा पदा०–2)**

7.7 कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि आर०ब्लॉक से जी०पी०ओ० गोलम्बर से एक्जीविशन रोड होते हुए राजेन्द्र नगर रोड तक सम्पूर्ण पथ में Special Drive चलाकर एक सप्ताह के अंदर सफाई सुनिश्चित करायी जाय एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित किया जाय। तदोपरांत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त सम्पूर्ण पथ का स्थल निरीक्षण किया जाएगा।

8. <u>डूडा–1 एवं 2, पटना से संबंधित मुद्दे</u> :–

8.1 आशियाना–दीघा रोड के नाला निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, डूडा–2, पटना द्वारा बताया गया कि नाला का निर्माण cover के साथ कराया जा रहा है। यह भी बताया गया कि रोड के end से नाला के लिए जमीन की मापी कर ली गयी है। नाला का निर्माण लगभग 500 मीटर की लंबाई तक हो गया है।

निर्देश दिया गया कि रोड के end तक जमीन की मापी कराकर नाला का निर्माण कराया जाय ताकि जमीन खाली रहने की स्थिति में अतिक्रमण नहीं हो। नाला निर्माण के क्रम में यदि कहीं अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाय।

8.2 कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि चाँदमारी रोड के पश्चिम की ओर डूडा–1 द्वारा नाला का निर्माण कराया गया है एवं उस रोड के पूरब के तरफ पटना नगर निगम द्वारा नाला बना हुआ है। डूडा–1 द्वारा निर्मित नाला की गहराई कम है, जिसके कारण नाला के पानी की कनेक्टिविटी पटना नगर निगम के नाले में नहीं हो रही है, फलस्वरूप नाले का पानी ओवरफ्लो करता है एवं उस क्षेत्र में जलजमाव रहता है।

निर्देश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, डूडा–1 एवं कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करेंगे एवं डूडा–1 द्वारा निर्मित नाला की कनेक्टिविटी यदि सही नहीं पाया जाता है तो उसे तोड़कर पुनः निर्माण कराया जाय।

9. बैठक से संबंधित अन्य मुद्दे, जिस पर संबंधित विभाग के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने के कारण चर्चा नहीं हो पायी, अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

28/12/2017

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 8194 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/12/17
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

28/12/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 8194 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/12/17
प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28/12/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 8194 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/12/17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंधक निदेशक, ब्रेडा (ई०मेल–breda@breda.in), पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/महाप्रबंधक, एन०बी०सी०सी०, पटना/NHAI, Patna (email-ropatna@nhai.org)/कार्यपालक अभियंता, डूडा–1, पटना/कार्यपालक अभियंता, डूडा–2, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल/बाँकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर एवं फुलवारी शरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. **प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, ब्रेडा, पटना से अनुरोध है कि बैठक में प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे।**

28/12/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 8194 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/12/17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/अपर सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी–2/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/12/2017

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–1

अन्य संबंधित मुद्दे, जिस पर संबंधित विभाग के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने के कारण चर्चा नहीं हो पायी :–

जल संसाधन विभाग से संबंधित मुद्दे :–

1. पटना शहर के गंगा प्रोटेक्शन वॉल में पिछले वर्ष मॉनसून के समय कुछ स्थानों यथा गंगा टॉवर के सामने, सदाकत आश्रम के निकट, गोसाईं टोला पम्पिंग स्टेशन के सामने तथा कुर्जी मोड़ के निकट sluice gate में लीकेज की समस्या हुई थी एवं गंगा नदी का पानी शहर में प्रवेश कर गया था।

   मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि वर्तमान में निर्मित गंगा सुरक्षा दीवार के क्षतिग्रस्त स्थानों पर आवश्यकतानुसार तत्काल मरम्मति कर ली गयी है। मॉनसून के पश्चात स्थायी तौर पर मरम्मति कर ली जाएगी।

2. मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 07.06.2017 को आयोजित बैठक में निर्णय हुआ था कि बादशाही नाला का जो हिस्सा शहरी क्षेत्र में पड़ता है, उसे पटना नगर निगम/नगर परिषद, फुलवारी शरीफ द्वारा takeover कर लिया जाएगा।

ब्रेडा से संबंधित मुद्दे :–

7.1 पटना शहर में स्ट्रीट लाईट, जिनका हस्तांतरण अभी पटना नगर निगम को नहीं हो पाया है, उसकी मरम्मती के संबंध में बताया गया कि नगर निगम से लाईट खराब होने की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी मरम्म्ती ब्रेडा द्वारा करायी जाती है। निर्देश दिया गया कि जब तक स्ट्रीट लाईटों का हस्तांतरण पटना नगर निगम को नहीं हो जाता है, तब तक के लिए ब्रेडा द्वारा स्वयं नागरिकों से शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था की जाय।

इस संबंध में ब्रेडा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ब्रेडा का wing छोटा होने के कारण यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है। निर्देश दिया गया कि इस हेतु वे Third Party Agency को रख सकते हैं ताकि वे लाईटों का समय–समय पर inspection करके अवगत करा सके और उसकी ससमय मरम्मति हो सके।